

To The District Judge
Jhansi

Registered post

Request.

23

No 5276 / IV-2918 / Admin A dated 21/4/06
Subject - Transfer T.A bill amounting to Rs
11931-00 for the month of June 2004 of Sri
Babu Ram, Civil Judge (Junior Division)
Mauranipur, Jhansi consequent upon
Journey performed from Varanasi to
Mauranipur, Jhansi

Sir

No.

With reference to your letter 262 / XV
dated 23-2-2006 on the above subject
I am directed to return herewith Transfer
T.A bill along with enclosures of Sri Babu Ram
Civil Judge (Junior Division) Mauranipur,
Jhansi and say that Sri Babu Ram
has claimed fare for his parents
as per proberty statement submitted by them
his parents are not totally dependent
upon him.

I am therefore to request you kindly
to ask Sri Babu Ram, Civil Judge, (Junior
Division) Mauranipur Jhansi to resubmit
the claim / T.A bill after making corrections
to the court at an early date so that
further necessary action may be taken
in the matter.

End - As above

Yours faithfully
Jomwastava
Deputy Registrar

24

No 5277 / IV-2918 / Admin A / dated 21/4/06
copy forwarded for info to Sri Babu Ram
Civil Judge (Junior Division) Mauranipur
Jhansi for information and necessary
action

Jomwastava
Deputy Registrar

DR(M)

May kindly
see the draft
and issue

Pk Sankar
10-4-2006

10/4/06

Issue
Jomwastava
12/4/06
13/04/06

27-2-06

Request 79

2763 2761

Re.	
File	IV/2918
Serial	20

प्रेषक,

जिला न्यायाधीश,
झांसी ।

1-30

सेवा में,

श्री के० सी० श्रीवास्तव,
उप निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

28-3-06

पत्रांक:- 262/XV दिनांक- 23/2/06

विषय:- स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देयक बावत रुपये 11,931/-
सम्बन्धित श्री बाबूराम, सिविल जज जू०डि० मऊरानीपुर
झांसी जो यात्रा उनके द्वारा बनारस से मऊरानीपुर के
की गयी ।

महोदय,

कृपया आप अपने उपर्युक्त विषयक पत्र सं० 349/चतुर्थ-

2918/एडमिन०र० दिनांकित-7.1.06 का सन्दर्भ ग्रहण करने का
कष्ट करें, जिसके अनुसार श्री बाबूराम के यात्रा भत्ता देयक प्रपत्र
के सम्बन्ध में पॉच आपत्तियों दर्शाई की गयी हैं तथा उनके
निराकरण करने के लिये निर्देशित किया गया था ।

उक्त सम्बन्ध में श्री बाबूराम द्वारा देयक प्रपत्र पर, देयक
प्रस्तुत करने की तिथि हस्ताक्षरों के नीचे अंकित कर दी गयी है
तथा पारिवारिक आश्रितों सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी उनके द्वारा
देयक प्रपत्र पर अंकित कर दिया गया है एवं रसीदी टिकट देयक
प्रपत्र पर चस्पा कर दिया गया है व नियन्त्रक अधिकारी से
अपेक्षित किये गये प्रमाण पत्र भी यात्रा भत्ता देयक पर अंकित
कर दिये गये हैं तथा अपेक्षित पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न
है ।

अतः उक्त पत्र में दर्शाई सभी आपत्तियों के निराकरण
के उपरान्त मूल स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देयक प्रपत्र अग्रिम
कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

सादर,

भवदीय

संलग्नक:-

मूल यात्रा भत्ता देयक प्रपत्र
मूय छायाप्रति पत्रांक 1874/
नौ दिनांक-22.7.2004

जिला न्यायाधीश, झांसी

S. Chauhan
20.3.06

Encl-8

प्रेम्क,

बाबूराम,
सिविल जज जू. डि. & जे. एम.,
मउरानीपुर, जनपद-झांसी।

सेवा में,

श्रीमान उपनिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

विषय:- माननीय महोदय के पत्र नंबर 350/4-29/18 एडमिन ए.
दिनांकित 07.01.06 के संबंध में विस्तृत विवरण
=====

महोदय,

स-सम्मान निवेदन करना है कि मेरे द्वारा प्रथम
टी.ए. बिल प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पूर्व में मेरे
द्वारा न तो टी.ए. बिल प्रस्तुत किया गया और न ही
लिखा गया है, जिसका प्रमाण पत्र भी बी.ए. बिल पर लगा
दिया गया है। तथा मेरे अधीन आश्रित 5 बालिग एवं
2 नाबालिग का पूर्ण विवरण भी टी.ए. बिल पर दिया
जा रहा है।

अतः विवरण माननीय महोदय की सेवा में
उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

"स-सम्मान"



भवदीय


बाबूराम

सिविल जज जू. डि. & जे. एम.
मउरानीपुर, जनपद-झांसी।

दिनांक: 18.01.06

संलग्नक:- मूल टी.ए. बिल।

प्रेषक,
जिला न्यायाधीश,
झांसी ।

सेवा में,
श्री एच0सी0 श्रीवास्तव,
संयुक्त निबन्धक बजट,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्र संख्या:- 1874 / IX , दिनांक: जुलाई, 22, 2004

विषय:- वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता से संबंधित अनुदान आर्बिट्र करके संबंध में :

माधोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि इस जनपद में वित्तीय वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के कतिपय अधिकारियों के स्थानान्तरण यात्रा भत्ता संबंधी देयक लम्बित हैं एवं इस वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरण यात्रा-भत्ता से संबंधित कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। लम्बित देयकों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

मद	अधिकारी का नाम	वित्तीय वर्ष	धराशित
105/03	1:- श्री हरनाथ सिंह सेंगर	2003-04	17,398/-
जिला जज	2:- अपर जिला जज कक्ष सं-2, झांसी।		
	2:- श्री राहुल कुमार कात्यान -तदेव- अपर सिविल जज प्रवरवर्ग, कक्ष सं-8, झांसी।		14,845/-
	3:- श्री सुरेन्द्र नाथ सिविल जज अवरवर्ग, गराठा।	---तदेव---	10,344/-
	4:- श्री अजय कुमार सिंह जिला न्यायाधीश, झांसी।	2004-05	12,807/-
	5:- श्री संजय शंकर पाण्डेय सिविल जज प्रवरवर्ग झांसी।	--- तदेव---	13,170/-
	6:- कु0 मंजूला सरकार अपर सिविल जज अवरवर्ग कक्ष सं-11।	--- तदेव ---	6,646/-
	7:- श्री बाबूराम सिविल जज अवरवर्ग, मजरानीपुर।	---तदेव---	11,931/-
			<u>योग = 87,141/-</u>
108/03	1:- श्री महेन्द्र कुमार आर्या	2004-05	14,500/-
न्यायालय	अपर मुख्य न्यायाधिक मजि।		

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त धराशित मद 105/03 के 05 स्थानान्तरण यात्रा भत्ता में स्वये-87,141/- एवं मद 108/03

के 05 स्थानान्तरण यात्रा भत्ता में खर्चे -14500/- का
अनुदान आबंटित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
से उचित आदेश पारित कराने की कृपा करें ।

सादर ।

भवदीय



॥ अजय कुमार सिंह ॥
जिला न्यायाधीश, झांसी।
Cay

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,
झांसी।

सेवा में,

श्री ए० के० वर्मा,
उप-निबन्धक (अडि)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्र संख्या: 532 / XI

दिनांक: 16/3/05

विषय: वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिये स्थानान्तरण यात्रा भ्रता से संबंधित अनुदान आवंटित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन करना है कि इस अनुदान में वित्तीय वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के कतिपय अधिकारियों के स्थानान्तरण यात्रा भ्रता संबंधी देयक लम्बित हैं। इस अधिकतान के पत्र सं० 2620/नौ दिनांक 20.11.04 एवं पत्र सं० 59/नौ दिनांक 6.1.2005 के माध्यम से निम्नांकित अधिकारियों से संबंधित स्थानान्तरण यात्रा भ्रता के लम्बित देयकों की धनराशि आंशिक करने हेतु निवेदन किया गया था। जो अब तक इस अधिकतान को प्राप्त नहीं हुई है। बजट के अभाव में लम्बित देयकों की समायाचीय समाप्ति की ओर अग्रसर हैं।

लम्बित देयकों का विवरण

मद	अधिकारी का नाम	वित्तीय वर्ष	धनराशि
105/03 जिला जज के उपमद- 05-टी.टी.ए.	1- श्री राहुल कुमार अपर सिविल जज, पुवर को	2003-04	रु० 14,845.00
	2- श्री देवपाल, जिला न्यायाधीश, झांसी	2004-05	रु० 18,031.00
	3- श्री सजयशंकर पाण्डेय, सिविल जज, पुवर को	—तदेव—	रु० 13,170.00
	4- श्री बाबुराम, सिविल जज, पुवर को	—तदेव—	रु० 11,931.00
	5- श्री मंजुला शंकर, अपर सिविल जज, पुवर को	—तदेव—	रु० 6,646.00
		योग	रु० 64,623.00
108/03 जिला न्यायाधीश के उपमद- 05-टी.टी.ए.	1- श्री महेन्द्र कुमार आठव अपर सी.जे.एम.	2004-05	रु० 16,300.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त धनराशि संबंधित मद से आवंटित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से उचित आदेश पत्रित कराने की कृपा करें।
सादर ।

भवनीय,
जिला न्यायाधीश, झांसी।

From: Sr. Admn. Officer,
Jhansi Judgship
G.K. Chaturvedi, H.J.S.,
Registrar (Budget),
High Court of Judicature at Allahabad.

अदेश
अपलोकि । प्रभारी अधिकारी, लेखा
अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

Requesting

लेखा
लन

To: The District Judge,
Jhansi

जिला जज, झांसी।
12.7.2005

(27)

No. 3105 /Admn.(B-II)Section Dated : May 25, 2005.

Subject : Allotment of fund in various preliminary units in different sub-heads during the current financial year 2005-06.

Sir,

I am directed to say that out of the grant sanctioned by the Government in various preliminary units in different sub-heads under the account head "2014-Administration of Justice-105-Civil and Sessions Court/106-Judge, Small Causes Court/108-Criminal Courts", in the current financial year 2005-06, the Court has been pleased to allot you a total sum of Rs. 95,508 = ~~₹~~ (Rupees Ninety five thousand five hundred eight) only, in the marginally noted preliminary unit(s) :

Details given overleaf

I am to add that the marginally noted amount allotted in those preliminary units, in different sub-heads shall be debited in the Account Head "2014-Administration of Justice-105-Civil and Sessions Courts/106-Judge, Small Causes Court/108-Criminal Court".

Yours faithfully,
G.K. Chaturvedi
Registrar (Budget)

No. /Admn.(B-II)Section Dated : May , 2005.

Copy forwarded for information and necessary action to the Treasury Officer, Jhansi

DR (Budget)

By Order of the Court,
Registrar (Budget)

06 JUL 2005

(L) TO. Jhansi

13/7/05
(2) ...

2014-Administration of Justice
105-Civil and Sessions Courts
03-District and Sessions Judge

02-Wages	Rs. 15,000.00
05-Transfer T.A. For payment to: Sr. Vigil. Pol., D.D. Sr. A.K. Gupta, A.D.J. Sr. S.S. Pandey, Cl. J. (J.D.) ✓ Sr. Prabhu Ram, Cl. J. (J.D.) ✓ Sr. Manjula Sarkar, Cl. J. (J.D.) Sushri	Rs. 68,297.00
44-Training T.A.	Rs. NIL

106-Judge, Small Causes Courts
03-Regular Establishment

05-Transfer T.A.	Rs. NIL
------------------	---------

108-Criminal Courts
03-Regular Establishment

05-Transfer T.A. For Sr. M.K. Arya, A.C.J.H.	Rs. 12,211.00
44-Training T.A.	Rs. NIL

04-Railway Magistrate

05-Transfer T.A.	Rs. NIL
Grand Total: Rupees Ninety five thousand five hundred eight only	Rs. 95,508.00

Chandrasekhar
25/05/05
Registrar (Budget)